षोडश माला, खंड 6, अंक 22 **मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014**

2 पौष, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 21 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

शैलेश कुमार

संयुक्त निदेशक

ओंकार
उप निदेशक

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)
अंक 22, मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014 / 2 पौष, 1936 (शक)

विषय **पृष्ठ संख्या**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 423 12-23

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 424 से 440 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060

[1]*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+ चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 25-95, 103-104

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
कार्यवाही सारांश 96

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
(एक) दूसरा प्रतिवेदन 96
(दो) अध्ययन दौरा 96

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
5वें से 8वां प्रतिवेदन 97

कृषि संबंधी स्थायी समिति
विवरण 97

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन 98

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
विवरण 98-99

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति
81वां प्रतिवेदन 100

मंत्री द्वारा वक्तव्य
राष्ट्रमंडल क्रीड़ा दल में धाविका दूतीचन्द को शामिल न किए जाने के बारे में

श्री सर्वानन्द सोनोवाल 101-100

कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 105

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014 106

नियम 377 के अधीन मामले 107-123

(एक) झारखण्ड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 107-108

(दो) सहकारी बैंकों को आयकर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री चाँद नाथ 108

(तीन) जयपुर विमानपत्तन राजस्थान से बैंकाक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई और कुवालालम्पुर के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा 110-111

(चार) गुजरात में सरखेज और गांधीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147 का विकास किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 112

(पांच) राजस्थान में लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाए जाने और उसका कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला 113

(छः) भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में घुसपैठ रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश बिधूड़ी 114-115

(सात) बिहार के गोपालगंज जिले में सबैया विमानपत्तन से यात्री उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 116

(आठ) केरल में पोस्ट-ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ ओनोकोलोजिकल साईंस एंड रिसर्च स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 117

(नौ) पश्चिम बंगाल में नाराजोले राजबारी ऐतिहासिक स्थान को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किए जाने और इसके संरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 118

(दस) खड़गपुर और सम्भलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को चार लेन वाला बनाए जाने और क्योंझर शहर में सड़क उपरिपुल तथा बाईपास बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सकुंतला लागुरी 119

(ग्यारह) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

मोहम्मद फैज़ल 119-120

(बारह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (ई) के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास 121-122

(तेरह) विशेष रूप से पंजाब में जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी काट ली है उन सभी को जेलों से रिहा किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवंत मान 122

(चौदह) हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जिसमें जिसमें केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले शामिल हैं, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 123

विदाई उल्लेख 126-129

राष्ट्रगीत 130

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014 / 2 पौष, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सम्मानित सभा में यह मेरा पहला प्रश्न है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें बताया है कि प्रश्नकाल का निलंबन नहीं होगा।

… (*व्यवधान*)

श्री देवुसिंह चौहान : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि कम से कम सत्र के आखिरी दिन आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री राजेश रंजन और श्री पी. करुणाकरण से स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल को निलंबित करने की सूचनायें मिली हैं। मैंने इन्हे अस्वीकृत कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

श्री देवुसिंह चौहान : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अब कुछ मत बोलिये।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्षा जी, कल से हम जो यह एजीटेशन कर रहे थे कि कंवर्जन के इश्यू पर प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देने वाले थे।...(व्यवधान) उसके लिए हम सभी का यही मुद्दा था और घर वापसी का जो हर जगह कार्यक्रम हो रहा है,...(व्यवधान) उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट हम चाहते हैं और ...(व्यवधान) इसीलिए तो हम कल से एजीटेशन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

इस समय श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

<u>पूर्वाह्न 11.03 ½ बजे</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[2]

(अनुवाद) माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 421, श्री देवुसिंह चौहान।

(प्रश्न संख्या 421)

[हिन्दी]

श्री देवुसिंह चौहान : माननीय अध्यक्षा जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ... <u>(व्यवधान)</u> भारत की जी.डी.पी. में कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।...<u>(व्यवधान)</u> लेकिन पिछले सालों में भारत की कल्टीवेटेड जमीन आज सेलीनिटी टैस्ट के कारण पूअर फर्टिलिटी में आ गई है। सर्वे रिपोटर् बताती है कि आज भारत के बीस राज्यों के 173 जिलों में पूअर फर्टिलिटी के कारण यह जमीन खराब हो रही है।...<u>(व्यवधान)</u> मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके कारण इस जमीन को फिर से उपजाऊ एवं विकसित बनाया जा सके?... <u>(व्यवधान)</u>

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

यदि यह योजना बनाई है तो भारत के किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाती है और पहले कितनी सबसिडी दी जाती थी?... (व्यवधान)

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्षा जी, सरकार द्वारा उस योजना के आधार पर अलकली भूमि रिक्लेम करने के लिए लावण्य भूमि पर प्रति हेक्टेअर 11000 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी।...(व्यवधान) एसिड वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेअर 2500 रुपये सरकार दे रही थी। यह 30 मार्च, 2013 तक दी जाती थी।...(व्यवधान) बाद में अप्रैल, 2014 से लावण्य भूमि पर 25,000 रुपये पर हेक्टेअर और एसिड वाली भूमि के लिए पर हेक्टेअर 3000 रुपये दिये जा रहे थे।...(व्यवधान)

श्री देवुसिंह चौहान : मैडम, मेरा सैकिंड सप्लीमैन्टरी यह है कि व्या केन्द्र सरकार ने किसी मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया था और समिति की रिपोर्ट आने के बाद सब्सिडी की रकम बढ़ाई गई है या नहीं?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006-2007 में केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था, उस समिति के अध्यक्ष, गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र भाई थे। 2008 में उस कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर हम प्रति हैक्टेअर 11 हजार रुपये सब्सिडी दे रहे थे। उसके बाद अप्रैल, 2014 से कृषि मिशन के आधार पर उसे बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये पर हैक्टेअर लवणीय जमीन पर दे रहे हैं और एसिड वाली भूमि के लिए 3 हजार रुपये पर हैक्टेअर देने का सरकार ने निर्णय किया है।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने डाटा पूरा दे दिया है कि सॉइल टैस्टिंग लेबोरेटरीज बहुत जगह हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में यह देखने में आता है कि कहीं वैज्ञानिक नहीं हैं, कहीं जांच की व्यवस्था नहीं है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी तक कितने प्रदेशों में और कितने इलाकों में सॉइल टैस्टिंग हुई है और भविष्य में क्या सरकार की कोई सॉइल टैस्टिंग की योजना है, जिससे कि हर ग्रामीण

को सॉइल टैस्टिंग सुविधा मिल सके और वह कम से कम फर्टीलाइजर का उपयोग करके देश का और अपना भला कर सके।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : मैडम, 2007-2008 से मार्च 2013 तक 1206 सॉइल टैस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई और 110 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने इस मद में दिये। हमारी नई सरकार ने इस वर्ष 30 करोड़ रुपये सॉइल टैस्टिंग लैबोरेटरीज के लिए और 56 करोड़ रुपये मोबाइल लैबोरेटरीज के लिए, यानी कुल मिलाकर 86 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि इससे पहले भारत सरकार ने मिशन मोड में किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड देने की कोई योजना नहीं चलाई।

जहां तक सॉइल हैल्थ कार्ड का सवाल है, सरकार की अलग से कोई योजना पहले से नहीं चल रही थी। राज्य सरकारें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से राशि निकालकर या अन्य मदों से यह काम करती थीं। अभी सरकार ने पूरे देश में 14 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड में काम करना प्रारम्भ किया है और इसके लिए 568 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। इसके तहत अगले तीन वर्षों तक देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड मुहैय्या कराये जायेंगे तथा प्रति तीन वर्षों में उनका नवीनीकरण होगा।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. सुन्दरम : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री के बयान के अनुसार, तमिलनाडु में लगभग 3,68,015 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि और 13,231 हेक्टेयर तटीय लवणीय मिट्टी क्रमशः नमक और लवणता के कारण प्रभावित हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस भूमि को विकसित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और तमिलनाडु को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है। हमारी माननीय पुराची थलाइवी अम्मा ने ऊसर भूमि विकास कार्यक्रम लागू किया था जिसके लिए हर

वर्ष धनराशि आवंटित की जाती थी। केंद्र सरकार को भी इसी तर्ज पर इस लवणीय भूमि को विकसित करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की है, नई योजना के आधार पर 2014 के बाद पच्चीस हजार रुपये पर हैक्टेअर किसानों के लिए दिया जाता है। उस मद में, खासकर उस जमीन में क्षेत्रीय मृदाओं के आधार पर जिप्सम डालकर उस जमीन को नवसाध्य करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री भगवंत मान : महोदया, पंजाब की धरती खेती के लिए जानी जाती है, पंजाब ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन आजकल पंजाब की धरती की उपजाऊ शक्ति रासायनिक खादों और पैस्टिसाइड्स की वजह से खत्म हो रही है। हमारे यहां का पानी सिंचाई के योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि उसमें यूरेनियम पाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पंजाब के मामले में कुछ स्पेशल पैकेज देने की बात हो रही है, ताकि पंजाब की धरती और पंजाब के किसानों को बचाया जा सके?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, एम.एम.ए. योजना के तहत, कृषि के व्यापक प्रबंधन योजना के तहत मार्च, 2013 तक सभी राज्यों की इसमें सहायता की जाती थी। हमारे मंत्री ने पहले भी बताया कि उस सहायता की राशि 11 हज़ार रूपये प्रति हैक्टेयर थी, लेकिन अप्रैल, 2013 से ले कर मार्च 2014 तक यह योजना बंद कर दी गई थी। सरकार ने इस योजना को अब एन.एम.एस.ए. (राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन) के तहत शुरू किया है। पहले जो सहायता राशि 11 हम हज़ार रूपये प्रति हैक्टेयर तहत देते थे, उसको बढ़ा कर 25 हज़ार प्रति हैक्टेयर कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

(प्रश्न संख्या 422)

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदया, एम.आई.एस. वह स्कीम है, जो किसानों को ऐसी नाशवान वस्तु, फल-सब्जी, जो लागत मूल्य से कम हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों को सस्ती दर पर अपनी पैदावार बेचनी पड़ती है। एम.आई.एस. स्कीम के तहत उसको खरीदने का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से होता है। प्राइज़ सपोर्ट स्कीम के माध्यम से 24 वस्तुएं केंद्र सरकार सौ प्रतिशत असीमित मात्रा में खरीदती है, सौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देती है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि एम.आई.एस. योजना वे तहत भी क्या सरकार ऐसी फल सब्जियों को सौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति करके असीमित मात्रा में खरीदने की कोई योजना बना सकती है, ताकि हम देश के किसानों को सुरक्षित कर सकें?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इस संबंध में अभी हमारी योजना है कि केंद्र सरकार 50 प्रतिशत और राज्य सरकार 50 प्रतिशत क्षतिपूति करती है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत भारत सरकार करती है और राज्य सरकार 25 प्रतिशत करती है। अभी इस संबंध में कोई नई योजना नहीं बनी है।

श्री ओम बिरला : महोदया, माननीय मंत्री महोदय को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस एम.आई.एस. योजना के तहत 50 प्रतिशत पैसा, जो केंद्र सरकार को राज्यों को देना पड़ता है, वह कहीं-कहीं एक-दो साल से नहीं दिया गया है। पिछली सरकार ने राज्य सरकारों को पैसा नहीं दिया, जिसके कारण एम.आई.एस. योजना के तहत 19 राज्यों में से केवल 9 राज्यों ने खरीद की है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस एम.आई.एस. योजना के तहत सौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि और उसके साथ जो 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का होता है, वह तुरंत प्रभाव से देने की योजना बनाएं। अभी कृषि मंत्रालय वित्त मंत्रालय को फाइल भेजता है, जिसमें दो-दो साल लग जाते हैं। मंत्री जी, मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसको टाइम शेड्यूल में डाल सकते हैं ताकि क्षतिपूर्ति का 50 पर्सेंट पैसा इतने समय तक राज्य सरकारों के पास पहुंच जाए?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि 6 राज्यों ने इस काम को किया है। राज्य प्रस्ताव बना कर भेजते हैं, खरीद वे स्वयं करते हैं और हम उसकी मंजूरी देते हैं। जो क्षति होती है, हम उसका आंकलन करते हैं और हम 50 प्रतिशत राशि देते हैं। यदि मुनाफा होता है तो वह पैसा राज्य सरकार का होता है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे बाजार हस्तक्षेप योजना, एम.आई.ए. है, जिसकी चर्चा अभी हमारे दूसरे साथी ने की है, मंत्री जी ने बताया है कि छह राज्य इसका आंशिक रूप से लाभ ले रहे हैं। यह देश बहुत बड़ा है। देश में सवारधिक कृषि विकास दर वाले जो राज्य हैं, उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ये राज्य इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना आज तक किसानों के लिए, कृषि के लिए प्रभावी नहीं हुई है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे दलहन और तिलहन आदि की खरीद के लिए शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है, क्या उसी प्रकार से सब्जियों और फलों के लिए भी सरकार क्षतिपूर्ति करेगी?

महोदया, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक हिस्सा यह भी है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में कई राज्यों ने लिखा भी है और जो संसदीय समिति है, उसके द्वारा भी अनुशंसा करके सरकार को इस योजना को बन्द करने की संस्तुति भेजी गयी थी, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? क्या इस योजना को बदलकर मंत्री जी कोई ऐसी योजना लाएंगे, जिससे किसानों का हित हो, कृषि का हित हो, फलों और सब्जियो में जो बहुत बड़ी क्षति किसानों को होती है, उससे उन्हें बचाया जा सके?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने बताया कि 6 राज्यों ने इस प्रकार की खरीद की है, लेकिन 19 राज्यों ने प्रस्ताव भेजे थे। यह राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रस्ताव भेजें। जितने प्रस्ताव आए हैं, हमने सबको मंजूरी दी है। 6 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, बाकी राज्यों ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी

है। उस योजना को बन्द करने का हमारा कोई विचार नहीं है। फल-सब्जियों की माकेरटिंग के लिए, उनका उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने कई नई योजनाओं का निर्माण किया है और उन्हें हम चालू करने वाले हैं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : महोदया, कृषि और बागवानी चीजों की खरीदी करने के लिए केन्द्र सरकार के कृषि और सहयोग कार्यालय के माध्यम से एक योजना पर अमल किया जा रहा है। जो उत्तर आया है, उसमें महाराष्ट्र राज्य में बागवानी की चीजों की खरीदी करने के लिए जो योजना है, उस पर कुछ अमल हुआ है, ऐसा मालूम नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में काजू और आम जैसे फल आते हैं, उनकी खरीदी करने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र राज्य को कुछ ऐसे आदेश दें। साथ ही साथ धान खरीदी करने की जो योजना है, वह इस वर्ष अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्या उसको तुरन्त शुरू करने का आदेश केन्द्र सरकार देने वाली है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, जहाँ तक बाजार हस्तक्षेप योजना का सवाल है, राज्य सरकारें प्रस्ताव देती हैं और अभी तक जितने प्रस्ताव जिन-जिन राज्यों से आए हैं, उनको हमने मंजूर किया है। महाराष्ट्र से भी यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा, तो हम उसे मंजूर करेंगे। जहाँ तक धान खरीद का सवाल है, इसका मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, मंत्री जी ने जवाब दिया कि नार्थ-ईस्ट को छोड़कर 50-50 परसेंट हिस्से के तहत अदर स्टेट्स के अन्दर प्रोक्योरमेंट की जाती है और जो जवाब मंत्री जी द्वारा दिया गया है, इसके अन्दर सेब और पाइन एप्पल जैसे फ्रूट्स भी प्रोक्योर किए जाते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा और पंजाब की धरती पर अधिकतम सन्तरे और मौसमी की खेती होती है और हर साल ज्यादा ठंड के कारण, प्रोक्योरमेंट न

होने के कारण आधिकतम जो फ्रूट की पैदावार है, वह बर्बाद हो जाती है। अगर सरकार की ओर से प्रस्ताव आएगा तो क्या केन्द्र सरकार सन्तरे को भी प्रोक्योर करने के लिए तैयार है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, जो रसा वान वृत्ति के फल हैं, यदि राज्य समझता है कि इसका मूल्य किसान को ठीक से नहीं मिल रहा है और यदि वह प्रस्ताव भेजेगा तो निश्चित रूप से हम उस पर अमल करेंगे।

श्री नाना पटोले : महोदया, सरकार ने किसानों की कृषि वस्तुओं को उचित दाम उपलब्ध कराने हेतु और ग्राहकों को किफायती दर से वस्तु उपलब्ध होने के सम्बन्ध में वर्ष 2003 में मंजूर किए मॉडल एक्ट कानून का सभी राज्यों द्वारा सख्ती से पालन करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने निर्देश देने के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, एक तो मंडी कानून के सम्बन्ध में हमने राज्यों को सुझाव दिया था और 12 राज्यों ने उस पर अमल भी किया है। किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए हमने दिल्ली में किसान मंडी की स्थापना की है और हमने राज्यों से भी आग्रह किया है, चूँकि यह राज्य का विषय है कि वे इस प्रकार की मंडियों की स्थापना करें। इसके लिए हम उनको तकनीकी सहयोग देंगे।

माननीय अध्यक्ष : देखिये, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह वरिष्ठजन और उनकी सुरक्षा से संबंधित है। [अनुवाद] कृपया अपने स्थानों पर जाएं। प्रश्न संख्या 423।

(प्रश्न संख्या 423)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया निश्चित रूप से यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस अवस्था में एक दिन सबको जाना है। जिनके मन में असुरक्षा का भाव है, उनके लिए भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पुरातन काल से ही हमने माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया है। 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' का भाव हम लोगों के मन में है, लेकिन इस कलयुग में कई संतानें ऐसी हैं जो अपने माता-पिता की सुरक्षा नहीं कर पातीं। इसलिए केन्द्र सरकार में माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी एक ऐसी योजना लाए, कि जहाँ पहले वरिष्ठों को अपने ज़िन्दा रहने का सबूत देने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनके लिए जीवन प्रमाण योजना शुरू की, जो हर बुज़ुर्ग के दिल को छू गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएँ लाई है, लेकिन क्या अलग से सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए, हैल्पलाईन के लिए और विशेष प्रकार से बुज़ुर्गों के लिए हैल्थ पॉलिसी लाने की सरकार की कोई योजना है? ...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : मैडम, बहुत ही इंपॉर्टैन्ट पॉइंट माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि सुरक्षा के मामले में गृह मंत्रालय से दो बार एडवाइज़री जारी की गई है। उसका मुख्य बिन्दु मैं बताना चाहता हूँ। इसमें 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत यहाँ से जो डायरैक्टिव और एडवाइज़री जारी की है, उसमें जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हैल्पलाईन एस्टैबलिश होनी चाहिए, उसको भी एडवाइज़री में शामिल किया है। साथ-साथ सिक्योरिटी सैल और [अनुवाद] वरिष्ठ नागरिकों की पहचान, उनकी संरक्षा और सुरक्षा तथा सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उपेक्षा,

दुर्व्यवहार और हिंसा के सभी रूपों का उन्मूलन [हिन्दी] यह सारा एडवाइज़री में इनक्लूड किया गया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आपको कुछ कहना है तो इनको सीट पर जाना पड़ेगा। यह क्या है कि ये भी यहाँ खड़े रहेंगे और आप भी बोलना चाहेंगे। ऐसा नहीं होता है। इनको सीट पर जाना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप गुस्सा मत करना। इनको भी तो सीट पर जाने के लिए बोलो। ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्य, प्लीज़, कम से कम पीछे चले जाइए। ऐसे उनके सामने खड़े रहकर कैसे काम चलेगा? [अनुवाद] आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लाना नहीं चाहते हो, क्योंकि [अनुवाद]

मैंने स्थगन जैसी सूचनाओं की अनुमति नहीं दी है। (हिन्दी) आप चाहो तो रोज़ बोलो, ऐसा नहीं होगा।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरी रिक्वैस्ट है कि आज सदन का आखिरी दिन है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कंटीन्यू हो। तो आप हाउस एडजर्न करके 12 बजे आकर धन्यवाद देकर समाप्त कीजिए। नहीं तो यह हमेशा होता रहा है, लेकिन आखिरी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी हाउस एडजर्न करके 12 बजे आकर कार्यक्रम कर दीजिए। [अनुवाद]

यह एक अच्छा तरीका है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: इस प्रश्न को पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से प्रश्न है कि ऐसे कई वरिष्ठ लोग जो आज गुमशुदगी के शिकार हैं और जिनके मन में असुरक्षा का भाव है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या निःशुल्क या रियायती दर पर ऐसी कोई डिवाइस या ऐसे उपकरण उपल्बध कराने पर सरकार विचार करेगी जिससे बुज़ुर्ग आपात स्थिति में लोकल पुलिस थाने में जाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें? ...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.24 बजे</u>

इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री राजेश रंजन, श्रीमती शताब्दी राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट बैठ गए।

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी दोहराया था कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगर सीनियर सिटिज़ंस के खिलाफ कोई भी अन्याय होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए एडवाइज़री जारी की गई है। उसके अलावा भारत सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हैल्थ मिनिस्ट्री का एक कार्यक्रम है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डैवलपमैंट का भी एक कार्यक्रम है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमैंट के तहत जो कार्यक्रम है, उसमें वृद्धाश्रम में जो लोग हैं, उनके लिए भी स्पैसिफिवली टार्गैट किया गया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई : माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के होते हुए भी वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हो रहे अपराध को राज्य का विषय मानकर उसे खारिज करने की कोशिश की जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डाटा संग्रह करने का कार्य जनवरी, 2014 में शुरू हुआ है। हालांकि, किसी कार्य के न होने से बेहतर है कि उस कार्य में थोड़ा समय लग जाए...। (*व्यवधान*)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, जोकि हमारे पारंपरिक ज्ञान के भंडार हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने पर विचार करेगी... (*व्यवधान*)

क्या सरकार इसे प्रत्येक जिला स्तर पर स्थापित करने का विचार करेगी जिसे आने वाले दिनों में हर गांव स्तर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ले जाया जा सके ताकि बुजुर्गों को चिकित्सीय देखभाल, दिन में उनकी देखभाल और उन्हें मनोरंजन सुविधाएं मिल सकें? … (*व्यवधान*)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वृद्ध लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं… (*व्यवधान*)

कानून के अंतर्गत ऐसे विभिन्न प्रावधान हैं जिन्हें मैं उद्धृत नहीं करना चाहता लेकिन चूंकि यह एक राज्य का विषय है और गृह मंत्रालय के निर्देशों और परामर्शों के अनुसार, यह राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बुजुर्गों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.27 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[3*] प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 424 से 440,
अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060)

[3*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं श्री एम. वेंकैया नायडू की ओर से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष -2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1605/16/14]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं श्री नितिन गडकरी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च,

2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2014 का संख्यांक 36) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजना का कार्यान्वयन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1606/16/14]

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1607/16/14]

(3) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1608/16/14]

(5) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1609/16/14]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1610/16/14]

(2) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1611/16/14]

(3) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013 -2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1612/16/14]

(4) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1613/16/14]

(5) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1614/16/14]

(6) (एक) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1615/16/14]

(7) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1616/16/14]

(8) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1617/16/14]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1618/16/14]

(10) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1619/16/14]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1620/16/14]

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) एच.एल.एल. बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच.एल.एल. बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1621/16/14]

(ख) (एक) एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1622/16/14]

(13) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

क्रम सं. संस्थान का नाम लेखा वर्ष (वर्षों)

1. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली, 2013-14

2. नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली 2013-14

3. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली 2013-14

4. जे.आई.पी.एम.ई.आर., पुडुचेरी 2013-14

5. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 2013-14

6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 2013-14

7. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर 2013-14

8. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश 2013-14

9. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर 2013-14

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना 2013-14

11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर 2013-14

12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल 2013-14

13. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली, 2012-13 तथा 2013-14

14. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2013-14

15. इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद 2013-14

16. सी.एन.सी.आई., कोलकाता 2013-14

17. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली 2013-14

18. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, 2013-14

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1623/16/14]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): अध्यक्षा जी, मैं कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं -

(1) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1624/16/14]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1625/16/14]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1626/16/14]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1627/16/14]

(2) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1628/16/14]

(3) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1629/16/14]

(4) (एक) टेक्नोलॉजी इंफोर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इंफोर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1630/16/14]

(5) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1631/16/14]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1632/16/14]

(7) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1633/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1634/16/14]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सक (वृत्तिक आचरण, सदाचार और मूल्य संहिता) संशोधन विनियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं 7-3/2003-सी.सी.एच.(पी.टी.) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1635/16/14]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1636/16/14]

(4) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1637/16/14]

(5) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1638/16/14]

(6) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1639/16/14]

(7) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1640/16/14]

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1641/16/14]

(9) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1642/16/14]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1643/16/14]

(11) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1644/16/14]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 की धारा 29 के अंतर्गत जारी कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 जो 11 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 883(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1645/16/14]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014 जो 3 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23/47/2014-आर.एंड.आर. (खंड III) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1646/16/14]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1647/16/14]

(2) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1648/16/14]

(3) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली वे वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1649/16/14]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती निर्मला सीतारमण - उपस्थित नहीं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : मैं श्री मुख्तार अब्बास नकबी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1650/16/14]

(2) (एक) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1651/16/14]

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1657/16/14]

(ख)(एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 वा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1658/16/14]

(ग)(एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्लीके वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी 1659/14]

(घ)(एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1660/16/14]

(ड.)(एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1661/16/14]

(च)(एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडाका वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1662/16/14]

(छ)(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1663/16/14]

(ज)(एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1664/16/14]

(झ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फटिर्लाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2013-2014 का क प्रतिवेप्रतिवेदनए लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की णियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1665/16/14]

(2)(एक) इस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फामूर्लेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फामूर्लेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी.1666/16/14]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. एम. सिद्धेश्वर) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) एन.ई.पी.ए. लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

.

(दो) एन.ई.पी.ए. लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1667/16/14]

(2) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

.

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1668/16/14]

(3) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

.

(दो) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1669/16/14]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1670/16/14]

(2) (एक) हासन मंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हासन मंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1671/16/14]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:- :-

(1) (एक) कर्नाटक सर्व शिक्षा अभियान समिति, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक सर्व शिक्षा अभियान समिति, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1672/16/14]

(3) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण कवारत्ती के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण कवारत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1673/16/14]

(5) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1674/16/14]

(6) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1675/16/14]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1676/16/14]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) का.आ. 2257(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ii) का.आ. 2684(अ) जो 20 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 346(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(iii) का.आ. 2385(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(iv) का.आ. 1586(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10(हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(v) का.आ. 1983 (अ) जो 1 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(vi) का.आ. 3713 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23(बीरमित्रपुर-बरकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(vii) का.आ. 3715(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(viii) का.आ. 3716(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ix) का.आ. 3687(अ) जो 17 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(x) का.आ. 1288(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहार शरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xi) का.आ. 453(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82(गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xii) का.आ. 1287(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31(रजौली-नवादा- बिहारशरीफ-बख्तियारपुर खण्ड) के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xiii) का.आ. 1398(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (बंजारिया से शिवहर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xiv) का.आ. 454(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82(गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xv) का.आ. 251(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(xvi) का.आ. 156(अ) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xvii) का.आ. 3884(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83(पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xviii) का.आ. 3215 (अ) जो 22 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (चकिया बंझुला से बंजारिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।

(xix) का.आ. 3528 (अ) जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2(बरवा अड्डा से बराकर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के बारे में है।

(xx) का.आ. 3701(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33(हजारीबाग- रांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के बारे में है।

(xxi) का.आ. 3720(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के बारे में है।

(xxii) का.आ. 87(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33(रारगांव-जमशेदपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के बारे में है।

(xxiii) का.आ. 636(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxiv) का.आ. 3550(अ) जो 2 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6(बहरगोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxv) का.आ. 3551(अ) जो 2 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6(बहरगोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxvi) का.आ. 3703(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6(बहरगोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxvii) का.आ. 3706(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5(विशाखापत्तनम- भुवनेश्वर खण्ड) तथा (भुवनेश्वर-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxviii) का.आ. 1585(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 (छपरा-रीवाघाट-मुजफ्फरपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxix) का.आ. 26(अ) जो 6 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2(औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxx) का.आ. 906 (अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxi) का.आ. 1298 (अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (खड़गपुर से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxii) का.आ. 1285 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (खड़गपुर से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxiii) का.आ. 1231 (अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क (पिपराकोठी -रक्सौल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxiv) का.आ. 909 (अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxv) का.आ. 1026 (अ) जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23(चास-बोकारो-गोला-रामगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxvi) का.आ. 1484 (अ) जो 9 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33(बरही -हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxvii) का.आ. 741(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxviii) का.आ. 1581(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34(रायगंज-डोलखोला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xxxix) का.आ. 235 (अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33(महुलिया से बहरागोरा खण्ड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोरा से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xl) का.आ. 236 (अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33(महुलिया से बहरागोरा खण्ड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोरा से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xli) का.आ. 1130 (अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (मुजफ्फरपुर बरौनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

(xlii) का.आ. 2584 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उप-डिवीजनल अधिकारी (सिविल), ठियोग, जिला शिमला को हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (नया एनएच-5) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(xliii) का.आ. 2585 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उप-डिवीजनल अधिकारी (सिविल),नालागढ़, जिला सोलन को हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या 21क (नया एनएच-105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(xliv) का.आ. 2586 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उप-डिवीजनल अधिकारी, पंचकूला को हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया एनएच-105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन

और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(xlv) का.आ. 439 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला भूमि अर्जन अधिकारी, जिला-सरायकेला, झारखण्ड को झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (पुरूलिया-बलरामपुर-चांदिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(xlvi) का.आ. 440 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर जिला भूमि मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन, जिला-पुरूलिया, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (पुरूलिया-बलरामपुर-चांदिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(xlvii) का.आ. 780 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर-मांडला-चिल्पी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xlviii) का.आ. 1110(अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (कनकटोरा-झारसुगुडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xlix) का.आ. 1150(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच-30) (एमपी बोर्डर चिल्पी-सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(l) का.आ. 1163(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बिओरा-एमपी/राजस्थान बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(li) का.आ. 1160(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (तनमचिरला-मल्लमपल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lii) का.आ. 1159(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (बिलासपुर - उरदाबल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(liii) का.आ. 1214 (अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(liv) का.आ. 1228 (अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lv) का.आ. 1227(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (नागौर बाईपास) (नागौर-बीकानेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lvi) का.आ. 1274 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lvii) का.आ. 1349 (अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (सीकर -बीकानेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lviii) का.आ. 1365(अ) जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27(मनगांव-चकघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lix) का.आ. 1476(अ) जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8(बघाना-गोमती चोराहा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lx) का.आ. 1509(अ) जो 13जुन, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच-30) (एमपी बोर्डर चिल्पी-सिमगा खण्ड) के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lxi) का.आ. 1529(अ) जो 16 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lxii) का.आ. 1226(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-हनुमाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lxiii) का.आ. 1141(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित अधिकारियों का सक्षम प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 656 (पेंचालकोना से येरपेडु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(lxiv) का.आ. 1142(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 458(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(lxv) का.आ. 1164(अ) जो 29 अप्रैल, 2014, राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 65 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपना।

(lxvi) का.आ. 1162(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(lxvii) का.आ. 1165(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 335(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(lxviii) का.आ. 1213 (अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lxix) का.आ. 1346(अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3509 (अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(lxx) का.आ. 1347 (अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lxxi) का.आ. 1348 (अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(lxxii) का.आ. 1426 (अ) जो 2 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के निर्माण,

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(lxxiii) का.आ. 1430(अ) जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 98 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(lxxiv) का.आ. 1573 (अ) जो 20 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(lxxv) का.आ. 1568(अ) जो 20 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ज्वाइंट कलेक्टर, गुंटूर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(lxxvi) का.आ. 2345(अ) जो 15 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में उसमें उल्लिखित राजमार्ग संख्याओं को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(lxxvii) का.आ. 2346(अ) जो 15 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 31ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(lxxviii) का.आ. 2440(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2594(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(lxxix) का.आ. 2494(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 86 (कानपुर-कबराई खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। ।

(lxxx) का.आ. 2506 (अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 211 (शोलापुर-येदेशी-औरंगाबाद-धुले खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। ।

(lxxxi) का.आ. 2441(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 21 (किरतपुर-नेर चौक खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। ।

(lxxxii) का.आ. 2443(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 8(गोमती का चौराहा-उदयपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। ।

(lxxxiii) का.आ. 2442(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2304(अ) को निरस्त किया गया है।

(lxxxiv) का.आ. 2645(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 896(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(lxxxv) का.आ. 2736(अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 26 (झांसी से लखनाडोन खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(lxxxvi) का.आ. 2768(अ) जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 9(शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। ।

(lxxxvii) का.आ. 2646(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग संख्या 57(पूर्णिया-फारबिसगंज-झंझारपुर-दरभंगा-मुजफ्फरपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(lxxxviii) का.आ. 2737(अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (बेंडा घाट टोल प्लाजा) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(lxxxix) का.आ. 2739 (अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग),कर्नाटक, लोक निर्माण विभाग को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (अंकोला-गूटी खण्ड) पर हगारी नदी पर

पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(xc) का.आ. 2808(अ) जो 3 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली हरियाणा सीमा से हरियाणा/पंजाब सीमा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(xci) का.आ. 2703 (अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xcii) का.आ. 2437(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै-परमकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xciii) का.आ. 2384(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रवंडी-कुंभकोणम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xciv) का.आ. 2860(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अथिपल्ली से कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xcv) का.आ. 2462(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xcvi) का.आ. 2702 (अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xcvii) का.आ. 3224(अ) जो 23 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (लुधियाना से तलवंडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xcviii) का.आ. 3068(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (लुधियाना से तलवंडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(xcix) का.आ. 3040 (अ) जो 8 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डब्वाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(c) का.आ. 2953 (अ) जो 30 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डब्वाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ci) का.आ. 2786(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-जींद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cii) का.आ. 1707(अ) जो 9 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सालासर-फतेहपुर-अंबाला खण्ड)

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ciii) का.आ. 2265(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (ऊँचानंगला-धोलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(civ) का.आ. 1652(अ) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-फलोदी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cv) का.आ. 1719 (अ) जो 10 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cvi) का.आ. 2271 (अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cvii) का.आ. 1678(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-फलोदी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cviii) का.आ. 2260(अ) जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cix) का.आ. 1654(अ) जो 1जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सालासर-फतेहपुर-अंबाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cx) का.आ. 1653(अ) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. .3071(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxi) का.आ. 903 (अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxii) का.आ. 505(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxiii) का.आ. 434(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxiv) का.आ. 504(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (तारानगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxv) का.आ. 826(अ) जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (गुलाबपुरा-उनियारा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxvi) का.आ. 331(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (असिन्द खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxvii) का.आ. 1307(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के लिए, उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(cxviii) का.आ. 735(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxix) का.आ. 975 (अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxx) का.आ. 1126(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxxi) का.आ. 1058(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxxii) का.आ. 852(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2452 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(cxxiii) का.आ. 450(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (हुरदा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(cxxiv) का.आ. 2592(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxv) का.आ. 2495(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(सितारगंज-टनकपुर खण्ड) के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(cxxvi) का.आ. 2496(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxvii) का.आ. 2489(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxviii) का.आ. 2497(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15(बीकानेर-फलोदी खण्ड) के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(cxxix) का.आ. 2498(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxx) का.आ. 2474(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 303 को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353ड के रूप में घोषित किया गया।

(cxxxi) का.आ. 2468(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxxii) का.आ. 2594(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxxiii) का.आ. 2595(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 306 को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 776ग के रूप में घोषित किया गया है।

(cxxxiv) का.आ. 2596(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxxv) का.आ. 2472(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxxvi) का.आ. 2466(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को नए राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया।

(cxxxvii) का.आ. 2475(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxxviii) का.आ. 2469(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxxxix) का.आ. 2593(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxl) का.आ. 2471(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(cxli) का.आ. 2787(अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1671(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1677/16/14]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क, (दरों और उद्ग्रहण का निर्धारण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 831(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1678/16/14]

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) केन्द्रीय मोटर यान (10वां संशोधन) नियम, 2014 जो 18 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) केन्द्रीय मोटर यान (11वां संशोधन) नियम, 2014 जो 4 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(iii) केन्द्रीय मोटर यान (12वां संशोधन) नियम, 2014 जो 16 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(iv) केन्द्रीय मोटर यान (13वां संशोधन) नियम, 2014 जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(v) केन्द्रीय मोटर यान (14वां संशोधन) नियम, 2014 जो 30 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 543(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(vi) केन्द्रीय मोटर यान (15वां संशोधन) नियम, 2014 जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 602(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(vii) केन्द्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2014 जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1679/16/14]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत लिम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1680/16/14]

(3) (एक) मोबिलिटी ऐड सेन्टर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोबिलिटी ऐड सेन्टर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1681/16/14]

(5) (एक) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1682/16/14]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोशन ऑफ इडिया, कानपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1683/16/14]

(8) (एक) इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1684/16/14]

(10) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखें संख्या एल.टी. 1685/16/14]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1686/16/14]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप संघ रोध (भारत में आयात का नियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2014 जो 10 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3114 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1687/16/14]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1688/16/14]

4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1689/16/14]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो आधिनियम, 1986 की घारा 39 के तर्गतत भारतीय मानक ब्यूरो(सलाहकार समिति) संशोधन विनियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1690/16/14]

(2) विधिक माप विज्ञान आधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेटबंद वस्तु) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 4 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र

में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 870 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1691/16/14]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1692/16/14]

(2) (एक) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी 1693/16/14]

(3) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एलटी 1694/16/14]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरूणाचल प्रदेश, पपुम पारे के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरूणाचल प्रदेश, पपुम पारे के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1695/16/14]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिये सं एल.टी. 1696/16/14]

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम, दक्षिण सिक्किम के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम, दक्षिण सिक्किम के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1697/16/14]

(10) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1698/16/14]

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कॉंचीपुरम के वर्ष 2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कॉंचीपुरम के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कॉंचीपुरम के वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1699/16/14]

(12) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय का कांचीपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1700/16/14]

(13) नॉथ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1701/16/14]

(14) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1702/16/14]

(15) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1703/16/14]

(16) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1704/16/14]

(17) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 1705/16/14]

(18) (एक) सेन्ट्रेंल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रेंल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रेंल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1706/16/14]

(19) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्रकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1707/16/14]

(20) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1708/16/14]

(21) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1709/16/14]

(22) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1710/16/14]

(23) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1711/16/14]

(24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1712/16/14]

(25) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा- परीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष के 2013-2014 के कार्रकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1713/16/14]

(26) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एलटी 1714/16/14]

(27) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1715/16/14]

(28) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1716/16/14]

(29) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1717/16/14]

(30) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1718/16/14]

(31) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1719/16/14]

(32) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1720/16/14]

(33) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1721/16/14]

(34) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1722/16/14]

(35) (एक) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1723/16/14]

(36) (एक) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1724/16/14]

(37) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन)सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1725/16/14]

(38) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, बिहार के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, बिहार के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1726/16/14]

(39) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1727/16/14]

(40) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1728/16/14]

(41) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1729/16/14]

(42) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1730/16/14]

(43) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1731/16/14]

(44) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1732/16/14]

(45) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये ,देखिए संख्या एल.टी. 1733/16/14]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1734/16/14]

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1735/16/14]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1736/16/14]

(4) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1136 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1737/16/14]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 के अंतर्गत सिडिंकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 20 जून, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 261/0089/पीडी:आई.आर.डी.(ओ)/आर. 68 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1738/16/14]

(7) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी और जब्ती के लिए प्रक्रिया)

नियम, 2014 जो 17 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 812 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1739/16/14]

(8) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1)(1ख) के अंतर्गत मध्यम अवधि व्यय ढांचे, दिसम्बर, 2014 के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1740/16/14]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर): मैं श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासीय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासीय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1741/16/14]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1742/16/14]

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1743/16/14]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा तैयार अध्ययन रिपोर्ट-जून, 2011।

(दो) प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के प्रतिवेदन-जून, 2011 के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1744/16/14]

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली से चौथी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न12.04 बजे</u>

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
(एक) दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): अध्यक्ष महोदया, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय उपयोजना का कार्यकरण' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) अध्ययन दौरा

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून, 2013 के दौरान पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई और श्रीनगर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

5वें से 8वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकारी आश्वसनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों (स्वीकृत) को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(3) आश्वासनों (अस्वीकृत) को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(4) आयुष मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के 'जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्राप्स की खेती संभावनाएं और प्रभाव' के बारे में 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई 59वां प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अभिजीत मुखर्जी (जंगीपुर): मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पनुरुद्धार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का पहला प्रतिवेदन।

(2) 'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' के बारे में 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) का दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
विवरण

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव अडसुल (अमरावती): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वींलोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 40वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण ।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2013-14 ' के बारे में 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 41वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2013-14' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 42वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'कीटनाशकों का उत्पादन तथा उपलब्धता' विषय पर 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 43वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति
81वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मैं भारत में पैथ (पी.ए.टी.एच.) द्वारा मानव पैपिलोमा विषाणु (एच.पी.वी.) टीके के प्रयोग द्वारा किए गए अध्ययन में बरती गई तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

राष्ट्रमंडल क्रीड़ा दल में धाविका दूतीचन्द को शामिल न किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल): मैं 'राष्ट्रमंडल क्रीड़ा दल में धाविका दूतीचन्द को शामिल न किए जाने के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब और कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा 22 जुलाई, 2014 को शून्य काल के दौरान किए गए अनुरोधों के प्रत्युत्तर में इस सम्मानित सभा मे एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूँ। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप ले कर दीजिए।

[अनुवाद]

[4*]**श्री सर्वानन्द सोनोवाल:** सदन में दिए गए आश्वासन के अनुसार, भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) ने खेल मध्यस्थता न्यायालय (सी.ए.एस.) लौसाने, स्विटजरलैण्ड के समक्ष महिला हाईपरएन्ड्रोजेनिजम पर आईएएएफ विनियमों के आधार पर सुश्री दूतीचन्द को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने सी.ए.एस. में सुश्री दूतीचन्द के मामले को उठाने के लिए कनाडा के डेविस वार्ड फिलिप्स एण्ड विनेबर्ग एल.एल.पी. के श्री जिम बंटिंग की सेवाएं ली थी । भारतीय खेल प्राधिकरण इस मामले में समस्त सहायक लागत उपलब्ध करा रही है और यह सी.ए.एस. द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक जारी रहेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण सुश्री दूतीचन्द की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी सम्पर्क बनाए हुए है और महिला हाईपरएन्ड्रोजेनिजम आई.ए.ए.एफ.

[4*] भाषण सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1745/16/14

द्वारा किए गए भेदभाव पर भारतीय खेल प्राधिकरण की वर्तमान स्थिति को मजबूती मिली है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने उनके प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए उन्हें 'उत्कृष्टता केन्द्र' (सी.ओ.ई.), राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में बहाल करने के भी कदम उठाए हैं।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री दूतीचन्द के यह अनुरोध कि उन्हें सी.ए.एस. के अंतिम निर्णय को लंबित रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए , इसके प्रत्युत्तर में सी.ए.एस. ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को अस्थाई रूप से उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे सुश्री दूतीचन्द आगामी राष्ट्रीय खेल 2015 और भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगिताओं जैसे राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगी। इस बीच, सी.ए.एस. से अतिशीघ्र अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम लिंग समानता और खेलों में गैर भेद-भाव के लिए अपनी लड़ाई मे पीछे नहीं हटेंगे। हम आने वाले दिनों में भी सुश्री दूतीचन्द को सहायता जारी रखेंगे।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : भर्तृहरि जी, स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न नहीं किए जाते हैं।

<u>अपराह्न 12.11 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र – जारी

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1652/16/14]

(ख) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दश वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1653/16/14]

(तीन) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1654/16/14]

(चार) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखिए संख्या एल.टी. 1655/16/14]

(पांच) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये , देखें संख्या एल.टी. 1656/16/14]

<u>अपराह्न 12.12 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 22 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से इस उपान्तरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटायी गई पैरा संख्या 2 की मद से संबंधित उसकी सिफारिश का लोप किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 22 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से इस उपान्तरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटायी गई पैरा संख्या 2 की मद से संबंधित उसकी सिफारिश का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री अरूण जेटली जी इंट्रोड्यूज नहीं कर रहे हैं।

अपराह्न 12.13 बजे

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014[5*]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

5. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड -2, दिनांक 23.12.2014 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले[6*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे तुरन्त मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

... (व्यवधान)

(एक) झारखण्ड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल और बीसीसीएल में आउट सोर्सिंग कार्यों में शामिल विभिन्न कंपनियों द्वारा कई नियम विरूद्ध कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कोयले की चोरी, हैवी ब्लास्टिंग, खान कानूनों का उल्लंघन, उक्त कंपनियों के द्वारा उक्त प्रबंधन के मशीनों और उपकरणों का संचालन, ओवरबर्डेन वी मापी में गड़बड़ी, बैक फिलिंग नहीं करने के कारण पानी का जलस्तर नीचे गिरना, मजदूरों का काउन्टर पेमेन्ट नहीं करना आदि कार्यों से सरकार के राजस्व में भारी हानि हो रही है और आमजनों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को जमीन

[6*] सभा पटल पर रखे गए माने गए ।

का मुआवजा और नौकरी दोनों नहीं मिली। इस संबंध में हमने मामले को सदन में कई बार उठाया, परंतु इस संदर्भ में आज तक समुचित कार्रवाई नहीं की जाए

अतः सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त गड़बड़ियों के निराकरण हेतु एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(दो) सहकारी बैंकों को आयकर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आयकर आधिनियम की धारा 80 (पी) के तहत वर्ष 2005-06 तक सहकारी साख संस्थाओं को आयकर से मुक्त रखा गया था। परंतु वर्ष 2006-07 में सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष मानकर इनकी आय को आयकर के दायरे में ले लिया गया। सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक अपने सदस्यों की मदद से ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं एवं इनके द्वारा आर्जित लाभ भी सदस्यों में विभाजित होता है। अतः आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) को पूर्ववत लागू किए जाने का निवेदन है। मेरा अनुरोध है कि सभी प्रकार के सहकारी बैंकों को आयकर आधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत वर्ष 2005-06 तक आयकर में प्राप्त छूट को पूर्ववत बहाल किया जावें ताकि साख ढाँचे को आयकर के रूप में हो रहे नुकसान से बचाया जा सके।

(तीन) जयपुर हवाईपत्तन राजस्थान से बैंकाक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई और कोलालाम्पुर के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): जयपुर शहर वर्ल्ड क्लास एवं स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ जवाहरात उद्योग, रंगाई, छपाई व पर्यटन उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। प्राचीन समय से ही जयपुर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर का रत्न व्यवसाय लगभग 300 वर्ष पुराना है। इस व्यवसाय से लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जयपुर कलर जैम्स स्टोन कटिंग व पॉलिश के लिए विश्व का सबसे बड़ा केन्द्र है। प्रतिवर्ष बैंकॉक व हांगकांग में चार प्रदर्शिनियों का आयोजन किया जाता है। इसी अवसर पर पाँच से आठ हजार यात्री इन देशों की यात्राएं करते हैं। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के अन्य देश जापान, चीन आदि में भी आयोजित प्रदर्शिनों में जयपुर से हजारों जौहरी भाग लेने जाते हैं। यह व्यापार मुख्यतयाः बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई एवं कुआलालम्पुर से किया जाता है एवं इन देशों के व्यापारी भी जयपुर से सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ आने में असुविधा महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप वहाँ के व्यापारी विश्व के दूसरे देशों में व्यापार के लिए चले जाते हैं एवं हमें राजस्व आय में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा से वंचित होना पड़ता है।

पर्यटन की दृष्टि से देखे तो सन् 2013 से 3,02,98,150 भारतीय एवं 14,37,162 विदेशी पर्यटक राजस्थान में आये थे उनमें से 11,04,905 भारतीय एवं 5,66,429 विदेशी पर्यटक जयपुर में आये। लेकिन जयपुर से बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई एवं कुआलालम्पुर के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण जयपुर का संपूर्ण जवाहरात उद्योग एवं पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। जयपुर जवाहरात की मण्डी है। यहाँ माल की खरीद के लिए विदेशों से भी काफी संख्या में रत्न व्यवसायी एवं पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा होगी। अतः इन शहरों के लिए जयपुर से सीधी विमान सेवा प्रारंभ

किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने से जवाहरात उद्योग एवं पर्यटन व्यवसाय व रंगाई, छपाई उद्योग जो सांगानेरी हैंडप्रिन्ट के नाम से जाना जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है, में गति आने से रोजगार के साधन सुलभ होंगे व राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण जयपुर से बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई एवं कुआलालम्पुर के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ किए जाने का श्रम करावें।

(चार) गुजरात में सरखेज और गांधीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147 का विकास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरखेज- गांधीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच -147 (पुराना एनएच -8) का विकास तत्काल किए जाने की आवश्यकता है। सरखेज- गांधीनगर राजमार्ग खंड मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-48 (दिल्ली-अहमदाबाद-मुंबई) को शेष गुजरात से जोड़ता है। इन जरूरतों को पूरा करते हुए, यह राज्य की राजधानी गांधीनगर को गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस विशेष सड़क खंड पर भारी यातायात होता है जिसके कारण प्रमुख जंक्शनों/चौराहों पर लोगों को यातायात संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग खंड, जो कहीं चार लेन तो कहीं छह लेन का होने तथा स्थानीय और लंबी दूरी तक यातायात होने की वजह से वर्तमान में क्षमता अभाव से जूझ रहा है, में वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। तत्काल इन मार्गों को कई लेनों का किये जाने, स्थानीय और आम यातायात को अलग करने ; प्रमुख चौराहों पर स्थानिक और ग्रेड सेपरेशन करने की सख्त आवश्यकता है।

हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ऐसे कुछ चौराहों और सड़क खंडों पर काम कर रहा है, फिर भी इस खंड के एकीकृत बहु-लेनिंग, ग्रेड सेपरेशन और कोरिडोर के विकास करने पर तत्काल ध्यान देने और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं संबंधित मंत्री से इस संबंध में उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(पांच) राजस्थान में लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाए जाने और उसका कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : राजस्थान सहित देश के 78 हजार गाँव-ढाणियों में रहने वाले लगभग 4.77 करोड़ लोग फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सैलीनिटी अथवा नाइट्रोजनयुक्त पानी पीने को विवश है जिनके कारण उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अशुद्ध पेयजल के उपयोग से सवारधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। अकेले राजस्थान में 14 हजार से आधिक गाँव-ढाणियाँ प्लोराइडयुक्त पानी पीने को विवश हैं। यहाँ उल्लेखित करना चाहता हूँ कि देश में सवारधिक सूखा प्रदेश राजस्थान ही है जहाँ केवल 1 प्रतिशत सतही जल एवं भूजल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में राज्य की जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हम सब की जिम्मेदारी के साथ-साथ एक चुनौती भी है जिसे दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से जो दुष्प्रभाव सामने आते हैं, वे अत्यंत भयावह हैं। फ्लोराइड की आधिक मात्रा के कारण शरीर पर विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे असमय बाल झड़ जाना, आस्थियाँ कमजोर हो जाना, दाँत खराब हो जाना तथा वृद्धावस्था के लक्षण आ जाना आदि दिखाई देने लगते हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की जनता को फ्लोराइडयुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आतिशीघ्र विशेष कार्ययोजना बनायी जाए।

(छह) भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में घुसपैठ रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान भारत-बांग्लादेश सीमा पर हो रही निरंतर घुसपैठ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यू.एन.ओ. की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार असम के उन जिलों में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई जो बांग्लादेश सीमा के आस-पास है तथा बांग्लादेश के उन जिलों में जनसंख्या में असाधारण कमी आई जो भारत सीमा के आस-पास हैं। इसी रिपोर्ट में 1971 से 1981 तथा 1981 से 1991 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करते हुए बांग्लादेश में अचानक एक करोड़ व्यक्तियों के गायब होने की चिंता व्यक्त की गई।

बांग्लादेश घुसपैठ का सबसे घातक प्रभाव असम राज्य में हुआ। इसके साथ-साथ असम के 23 जिलों में से 8 जिलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है। राजनैतिक दृष्टि से नजर डालें तो 126 विधान सभा सीटों में से 46 पर घुसपैठी मतदाता के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इसका सबसे चिंताजनक पहलू अप्रैल, 2006 में असम के विधान स्ाभा चुनाव में दिखाई दिया जिसमें ब्रह्मपुत्र व कछार घाटी में पड़ने वाले जिलों की जनसंख्या में बड़े नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई व धुबड़ी, गोलपाड़ा और दरंग में तो घुसपैठ के कारण मात्र एक वर्ष में मतदाताओं की संख्या 14 से 15 प्रतिशत बढ़ गई। असम संधि के अनुसार 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आये लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत किये जाने का वक्त दिया गया था जबकि वर्ष 1971 के बाद सीमा पार कर आये प्रवासियों का भारत में रहना अवैध तय किया गया था। असम सरकार ने श्वेत-पत्र जारी करके कहा था कि 1985 से 2012 के बीच विभिन्न न्यायालयों में 61,774 लोगों को अवैध करार दिया गया। यह तो केवल वह मामले थे जो पंजीकृत हुए।

असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा संवेदनशील है। वहां मुर्शिदाबाद जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कथित बांग्लादेशियों और मूल नागरिकों का रहन सहन और भाषा एक है जिसके चलते उनकी पहचान करना मुश्किल है।

भारत में बस गये ऐसे करोड़ो से आधिक घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा तथा अर्थव्यवस्था के लिए बोझ हैं। इनके खाने-पीने, रहने, सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का न्यूनतम खर्च रोजाना 25 रूपये प्रति व्यक्ति भी लगाया जाए तो यह राशि सालाना किसी राज्य के कुल बजट के बराबर होगी।

भारत-बांग्लादेश सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है जहां से बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ करते हैं जिसमें पिछले दो दशकों से कटीले तार लगाने का कार्य चल रहा है जो अभी तक 3,300 किलोमीटर तक ही पूरा हुआ है। 2012-13 और 2013-14 के बजट में यूपीए सरकर ने इस कार्य के लिए 100-100 करोड़ रूपये दिये थे। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी का जिन्होंने इसके लिए अब की बार 500 करोड़ रूपये प्रदान किये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लेने की कृपा करें ताकि यहाँ के लोगों को उनका हक मिल सके जिसके वे आधिकारी हैं।

(सात) बिहार के गोपालगंज जिले में सबैया विमानपत्तन से यात्री उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे लोक सभा क्षेत्र सीवान (बिहार) के साथ पड़ोसी जिले गोपालगंज, छपरा, बलिया के काफी लोग खाड़ी देशों में रहते हैं जो विमान से आवागमन करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के समीप सबैया एयरपोर्ट स्थित है जो काफी दिनों से परिचालन हेतु बंद है। अगर सबैया एयरपोर्ट को यात्री विमान परिचालन हेतु चालू किया जाता है तो यहाँ से लाखों लोगों को फायदा पहुँचेगा क्योंकि ये लोग विमान पकड़ने हेतु दिल्ली, पटना एवं लखनऊ जाते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि सबैया एयरपोर्ट (गोपालगंज) को यथाशीघ्र परिचालन हेतु खोला जाए जिससे इन इलाकों को भी हवाई सेवा से सीधे जोड़ा जा सके।

(आठ) केरल में पोस्ट-ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ ओनोकोलोजिकल साईंस एंड रिसर्च स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकरा): केरल, जो एक समय पहले स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक जाना-माना मॉडल था, अब कैंसर सहित कई जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का सामना कर रहा है जो वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरूवनन्तपुरम ओनोकोलोजी के लिए एक प्रमुख संस्थान है। मालाबार कैंसर सेंटर, तेलिचेरी, केरल सरकार के अधीन एक और प्रतिष्ठित संस्थान है जो केरल की 50% आबादी को अपनी सेवा प्रदान करता है और कर्नाटक, तमिलनाडु और माहे (पुडुचेरी) से सैकड़ों मरीज इस सेंटर में आते हैं। कैंसर उपचार के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने के लिए केरल में पोस्ट-ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ ओनोकोलोजिकल साईंस एंड रिसर्च स्थापित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस पोस्ट-ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूटक का ध्यान कैंसर और उससे संबंधित विषयों से जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण और उसके अनुसंधान पर होना चाहिए। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि एम.सी.सी. तेलिचेरी, केरल में इस तरह के संस्थान की स्थापना की जाए।

(नौ) पश्चिम बंगाल में नाराजोले राजबारी ऐतिहासिक स्थान को हैरिटेज बिल्डिंग घोषित किए जाने और इसके संरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): नाराजोले पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेदनीपुर और तारकेश्वर के बीच पड़ता है। निजी नाराजोले राजबारी के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, राजा का यह महल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत था। नाराजोले राजबारी लगभग 300 साल पुरानी है और इसके चारों ओर शानदार मूर्तिकला एक अद्वितीय पुरातात्विक विरासत स्थल है। यह वास्तुशिल्प डिजाइन और संरचनाएं 100 एकड़ भूमि पर बनाई गई हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पहले से ही इस स्थल को विरासत संपत्ति घोषित कर दिया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने निजी नाराजोले का दौरा किया है और इसके स्मारकीय महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि नाराजोले राजबारी को देश का राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने पर विचार करें और इसके लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि यह एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बन सके।

(दस) खड़गपुर और सम्भलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को चार लेन वाला बनाए जाने और क्योंझर शहर में सड़क उपरिपुल तथा बाईपास बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सकुंतला लागुरी (क्योंझर): राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोलकाता से मुम्बई वाया खड़गपुर-जामसेला-क्योंझर-सम्भलपुर होकर जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर शहर के बीच में होकर निकलता है। इस मार्ग पर बड़े वाहन रात-दिन चलते हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दिन के समय यातायात जाम हो जाता है जिससे लंबे रूट के वाहनों एवं स्थानीय लोगों को अत्यंत परेशानी होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खड़गपुर से सम्भलपुर तक चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या बाइपास की व्यवस्था हो जाए तो इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि खड़गपुर से सम्भलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या क्योंझर शहर में बढ़ते यातायात को समुचित चलाने हेतु बाईपास का निर्माण करवाया जाए।

(ग्यारह) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप): संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन ने प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लक्षद्वीप प्रशासन इस अधिनियम को लागू करने के लिए तैयार है और उन्होंने मंत्रालय को सूचित

किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत उनके पास आवश्यक मात्रा में चावल उपलब्ध है। लक्षद्वीप प्रशासन ने टी.पी.डी.एस. के खाद्यान्न भंडार को परिवर्तित करके प्राथमिकता वाले परिवारों को वितरित करने के लिए मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि एन.एफ.एस.ए. के तहत खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने पर उक्त स्टॉक को फिर से भरा जा सकता है। इसलिए, मैं सरकार से संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54 (ई) के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज): पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क संपर्क बहुत खराब स्थिति में है। वर्ष 2001 में केंद्र सरकार ने पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना के नाम से एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था। इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54 (ई) के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ना था। परियोजना की शुरुआत में सरकार का लक्ष्य वर्ष 2009 तक इस कार्य को पूरा करने का था, लेकिन किसी कारण से सरकार ने बाद में यह घोषणा की कि इस कार्य को वर्ष 2014 के दिसंबर माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। चौदह साल बीत जाने के बाद भी परियोजना निर्माणाधीन है। देरी के कारण इस परियोजना की लागत भी पहले से अधिक हो गई है। कुछ दिन पहले एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र ने यह प्रकाशित किया है कि निर्माण कार्य में लगी कंपनी एनकेसी-जेकेएम (जेबी) को वर्ष 2011 में हरंगजो से मैबैंग तक 40 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण कार्य पैकेज संख्या ए.एस.-21 और ए.एस.-22 के तहत सौंपा गया था। यह कंपनी इस आवंटित कार्य को आज तक संतोषजनक रूप से पूरा नहीं कर पायी है। 15 अक्तूबर 2014 को एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने कार्य की प्रगति का मुआयना करने के लिए उस क्षेत्र का दौरा किया था। लेकिन, ये समस्याएं बनी रहीं और इस कार्य को देखते हुए अब यह कहना मुश्किल है कि यह कब तक पूरा होगा।

दूसरी ओर, लमडिंग से सिलचर तक रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के लिए काम जोर-शोर से चल रहा है और मार्च, 2015 तक इसे पूरा किया जाना है। उस क्षेत्र की आवश्यक वस्तुओं को ले जाने का एकमात्र तरीका सड़क संपर्क ही है। उस क्षेत्र में केवल चार से पांच महीने ही काम करने के अनुकूल मौसम होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कार्य की वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है।

(तेरह) विशेष रूप से पंजाब में जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी काट ली है, उन सभी को जेलों से रिहा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): हमारे देश में बहुत से ऐसे कैदी जेलों में बंद हैं जिनकी सजा पूरी हो गई लेकिन वे अभी भी जेलों में बंद हैं। भारतीय कानून के अनुसार जिन कैदियों की सजा पूरी हो गई है, उनको जेल से छोड़ देना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। पंजाब के बहुत से लोग जेलों में बंद हैं और सजा पूरी हुए 10-10 या 12-12 साल हो गए लेकिन उनकी जेल से रिहाई नहीं हुई। इस मामले में भाई गुरूबख्स सिंह ने मोहाली में भूख हड़ताल की थी तो पंजाब सरकार ने वादा किया था कि उन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा लेकिन वह वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। अभी भाई गुरबख्श सिंह जी ने अंबाला में भूख हड़ताल कर दी है लेकिन कोई भी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरे देश में ऐसे हजारों केस हैं जिनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद रखा गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने की वजह से वे पैरोल पर या छुट्टी पर भी नहीं आ सकते।

अतः गृह मंत्री जी को आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द उन कैदियों को रिहा किया जाए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है ताकि वे अपने परिवारजनों में बाकी जिंदगी सकून से बिता सकें।

(चौदह) हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जिसमें केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले शामिल हैं, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केरल का वन विभाग (के.एफ.डी.) यू.एन.डी.पी. की साझेदारी से एक ग्लोबल एनवायरोनमेंट फैसिलिटि (जी.ई.एफ.) द्वारा वित्त पोषित परियोजना 'हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप (एच.आर.एम.एल.)' को केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में लागू कर रहा है, जिसमें परियोजना क्षेत्र के रूप में 340,000 हेक्टेयर भूमि है। यह परियोजना 12 मार्च 2013 को मुन्नार में आयोजित हितधारकों की एक कार्यशाला का परिणाम है जिसमें शामिल 144 प्रतिभागियों में केएफडी के 44 अंशकालिक वाचर्स और ड्राइवर थे। श्री एस. राजेन्द्रन एम.एल.ए. और कार्यशाला में शामिल अन्य प्रतिभागियों ने सरकार को बताया कि उन्हें केवल पर्यटन विकास पर एक कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था। उक्त परियोजना लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य 11650 हेक्टेयर भूमि को नए संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित करना और टाउनशिप, कृषि भूमि, बागान आदि को एलिवेटेड प्रोटेक्टेड स्टेटस देना था। परियोजना अवधि के अंत में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा और वे भूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह एक तरह का पर्यावरणीय उपनिवेशवाद और आतंकवाद है जहां इनकी नज़र विदेशों से मिलने वाले धन पर है। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप क्षेत्र के प्रभावित लोगों को बचाने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, एक मिनट।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब नहीं होता है। आपको कोई अच्छी बात बोलनी हो तो बोलो नये साल के लिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं अच्छी बात ही बोलता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं एलाऊ करती हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज मैं किसी को कुछ एलाऊ नहीं कर रही हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी एलाऊ नहीं कर रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष जी, अगर वह स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बाद आप समाप्त कर सकते हैं। ...(व्यवधान) हम आपका आदर करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब अच्छा क्रिसमस मनाओ, नया साल मनाओ। खड़गे जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं एलाऊ कर रही हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैंने बोला है - "नहीं।" तो नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सलीम भाई, बैठिए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

विदाई उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 16वीं लोक सभा का तीसरा सत्र, जो 24 नवम्बर, 2014 को प्रारम्भ हुआ, आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान 22 बैठकें हुयीं, जिनमें 129 घंटे और 47 मिनट का समय लगा।

सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाये गए। अनुदानों की अनुपूरक मांगों (2014-2015) पर चर्चा लगभग 4 घंटे चली जिसके बाद इन्हें स्वीकृत किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दौरान 16 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सत्र के दौरान 18 विधेयक पारित हुए जो हाल के वर्षों में एक तरह का रिकॉर्ड है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा आपके सहयोग और प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, कपड़ा उपक्रम विधि विधेयक, संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली विधेयक, कोयला खान कम्पनी विधेयक वगैरह

इस सत्र के दौरान 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 103 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 4.68 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सहित 5058 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। आधे घंटे की चर्चा के लिए दो मुद्दे उठाए गए जिनमें डॉ. किरीट सोमैय्या ने प्लास्टिक के खतरे और श्री तथागत सत्पथी जी ने "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के बारे में मुद्दे उठाए और संबंधित मंत्रियों ने उनका उत्तर दिया।

प्रश्नकाल के बाद और सायं देर तक चली बैठकों में सदस्यों द्वारा लगभग 684 आविलम्ब नीय लोक महत्व के मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 271 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा को 70 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए | सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के द्वारा चार महत्वपूर्ण मामले उठाए गए। ये मामले हैं - श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के किए गए अपहरण और उत्पीड़न, देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण उत्तपन्न स्थिति, जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं का प्रचलन, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में इन्सेफलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति। इन ध्यानाकर्षणों के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्रियों ने बयान दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर भी दिए गए।

सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन चार अल्पकालिक चर्चा भी हुई जिनमें विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने की प्रक्रिया तेज किए जाने की आवश्यकता, देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को कथित रूप से क्षीण किये जाने के बारे चर्चा और धर्मांतरण की कथित घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा हुई। चौथी चर्चा की अनुमति कार्यसूची में प्रविष्ट किए वगैर विशेष मामले के रूप में अध्यक्ष द्वारा दी गई। इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने के साथ समाप्त हुई।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 39 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य पर तीन वक्तव्य दिए गए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा के पटल पर 2123 पत्र रखे गए।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत इस सत्र के दौरान 68 गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 8 अगस्त, 2014 को पेश किए गए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् विधेयक - 2014 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 28 नवम्बर, 2014 को आगे चर्चा

के लिए लिया गया। प्रभारी सदस्य ने चर्चा समाप्त हो जाने पर सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया। अन्य विधेयक, अर्थात् अम्ल नियंत्रण विधेयक -2014, जिसका आशय अम्लों के क्रय और वितरण का नियंत्रण करना है, को डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा 28 नवम्बर, 2014 को पेश किया गया। इस विधेयक पर आगे चर्चा 12 दिसम्बर, 2014 को की गई तथा उसी दिन चर्चा की समाप्ति पर प्रभारी सदस्य द्वारा सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया। श्री भर्तृहरि महताब द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को पेश किए गए वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई, 2014 को पेश किए गए राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर आगे चर्चा 5 दिसम्बर, 2014 को जारी रही और सभा की अनुमति से 19 दिसम्बर, 2014 को वापस लिया गया। भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में योदगान देने में समर्थ बनाने के लिए युवाओं में तकनीकी दक्षता के विकास के लिए योजना और 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में अन्य संकल्प श्री सी.आर. पाटील द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 को पेश किया गया और इस पर चर्चा अधूरी रही।

इस सत्र में व्यवधानों और स्थगनों के कारण 3 घंटे 28 मिनट से आधिक समय की हमें हानि हुई। तथापि, इस सभा ने महत्वपूर्ण वित्तीय और अन्य कार्यों के निपटान के लिए लगभग 17 घंटे 30 मिनट के लिए बैठक की जो सराहनीय है तथा मैं सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। सभा ने आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान में निर्दोष स्कूली बच्चों का नरसंहार करने और एक पाकिस्तानी न्यायालय द्वारा मुंबई की 26/11 की आतंकवादी घटना के आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की निंदा किए जाने से संबंधित दो संकल्पों को भी सर्वसम्मति से पारित किया।

मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों के कार्य को पूरा करने में सहयोग देने पर धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों

के नेताओं, मुख्य सचेतक तथा माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव द्वारा मुझे दी गई सक्षम और विशेषज्ञ सहायता के लिए बधाई देती हूं। मैं लोक सभा सचिवालय के आधिकारियों, कर्मचारीगण को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा पर धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाहियों के संचालन में सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देती हूं।

मैं माननीय सदस्यों को - के.सी. वेणुगोपाल जी -"क्रिसमस" तथा "नव वर्ष" की शुभकामनाएं देती हूं। मेरा विश्वास है कि नूतन वर्ष एक मजबूत प्रजातंत्र तथा सक्षम भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। फिर एक बार सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं।

अपराह्न 12.23 बजे

राष्ट्रगीत

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब वंदे मातरम् होगा। सदस्य कृपया खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

माननीय अध्यक्ष: सभा *अनिश्चित काल के लिए* स्थगित होती है।

अपराह्न 12.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित